न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 123/2020(2020/00171)

अनवान : –

1. मांगीराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रूपराम पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. जयदेवी पत्नी रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. बसकरो पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. सुमित्रा पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. सरोज पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. शर्मिला पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. मंजुबाला पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. बिरमन्ति पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
9. कौशल्या पुत्री रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानुप्रताप बैनीवाल वादी
श्री अमरजीत बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 21/12/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम मुन्सरी के वर्तमान खाता संख्या 225/205 के खसरा नम्बर 52 की 14.733 हैक्टेयर खसरा नम्बर 181 की 6.766 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 21.499 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि ... वादी के दादा उदमीराम की खातेदारी हुआ करती थी। उदमीराम ... भूमि को प्रतिवादी रूपराम ने कर्ता खानदान होने के चलते ... अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रूपराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम को वादी के दादा उदमीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी खतौनी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत 2059 खाता संख्या 24/22 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 ता 9 वादी की बहिनें हैं, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी मांगीराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी मुन्सरी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 225/205 प्रदर्श 1, सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, जमाबन्दी खतौनी ग्राम मुन्सरी बारानी सम्वत 2059 खाता संख्या 24 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा ग्राम मुन्सरी के वर्तमान खाता संख्या 225/205 के खसरा नम्बर 52 की 4.733 हैक्टेयर खसरा नम्बर 181 की 6.766 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 21.499 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 9 बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:29 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम मुन्सरी के वर्तमान खाता संख्या 225/205 के खसरा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
मादरा (जिला–हनुमानगढ़)

नम्बर 52 की 4.733 हैक्टेयर खसरा नम्बर 181 की 6.766 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा 2 की कुल 21.499 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी मांगीराम व प्रतिवादी संख्या 1 रूपराम दोनों को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 9 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:48:29 IST
Reason: SelfAttested